न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

प्रकीर्ण वाद संख्या–1100/22

कमला देवी बनाम ज्ञानवती आदि

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 156(3)दं0प्र0सं0

28–10–2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र अं0धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थिनी के पिता रामासरे ने दिनॉक 11–6–1947 को रामविलास व रामप्रसाद से आवासीय भूमि स्थित ग्राम कमलापुर बरखेरवा जरिए बैनामा क्रय की थी तथा उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थिनी व उसकी अन्य बहनों के नाम करदी थी जिसके फलस्वरूप प्रार्थिनी उक्त भूमि की स्वामिनी मालिक व काविज हुई। उक्त भूमि में से एक प्लाट को बिना किसी हक व अधिकार के फर्जी प्रपत्र तैयार करके गॉव की ही ज्ञानवती ने धोखाधड़ी करके अपने पुत्र राजेश कुमार उर्फ छोटू की मदद से सविता वर्मा को दिनॉक 18–10–2012 को जरिये पंजीकृत बैनामा बिक्री कर दिया तथा उक्त भूमि में ही स्थित मकान को भी फर्जी प्रपत्र तैयार करके छल कपट द्वारा बिक्री कर देना चाहते हैं। दिनॉक 17–5–22 को दिन में उक्त राजेश उर्फ छोटू एक ब्यक्ति को लेकर आया और मकान दिखाया तथा उससे एक लाख रूपये एडवांस लेकर जल्द बैनामा कराने की बात की। प्रार्थिनी को पूरा विश्वास है कि उक्त राजेश उर्फ छोटू और उसकी मॉ ज्ञानवती फर्जी प्रपत्र तैयार करके प्रार्थिनी के मकान का बैनामा कर देगें। दिनॉक 19–5–22 को सायंकाल 4.00 बजे प्रार्थिनी अपने पुत्र अनिल कुमार के साथ अपने मकान पर आयी तो राजेश उर्फ छोटू अपने 3–4 साथियों के साथ मिला प्रार्थिनी व उसके पुत्र को देखकर उसने भद्दी–भद्दी गालियॉ देनी शुरू कर दी और कहा कि यदि दोबारा इधर आ गये तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रार्थिनी ने घटना की तहरीर थानें में दिया, थाने में कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना–पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रर्थिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, व पुलिस अधीक्षक खीरीं को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद ,बैनामा दिनॉकित 11–6–47, वसीयत दिनॉक24–12–91 व बैनामा दिनॉक 18–10–2012 की प्रति प्रस्तुत किया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित कोई अभियोग दर्ज नहीं है।

सुना , पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदिका के प्रार्थना–पत्र के अभिकथनों के अनुसार पक्षकारों के मध्य जमीन का विवाद है। मामले के समस्त तथ्य प्रार्थिनी के संज्ञान में है, जिसे प्रार्थिनी साक्ष्य के माध्यम से स्वयं सिद्ध कर सकती है विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की सम्भावना नहीं है। **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0 सी0 सी0 2007 (59) पेज 739** में दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश में मामले को परिवाद के रूप में चलाया जाना उचित होगा। प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 संहिता परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान धारा 200 दं0प्र0 संहिता दिनांक 28–11–2022 को पेश हो। पत्रावली सक्षम न्यायालय को अन्तरित की जाय।

(चिन्ताराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर– खीरी।